संख्या- 34/2018/931/71-1-2018-झ-33/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।
3. कुलपति,
ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।
4. निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।
5. निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।
6. निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक
संस्थान, नोयडा।
7. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
उ0प्र0।
8. निदेशक,
जे0 के0 कैंसर संस्थान/हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 10 मार्च, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सकीय कार्य के साथ-साथ शैक्षणिक एवं शोध कार्य भी सम्पादित किए जा रहे है। प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, किन्तु दिनॉक 10-03-2018 को रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी के ट्रामा सेन्टर में हुई लापरवाही की वजह से विभाग की छवि धूमिल हुई है। यदि वहॉ के चिकित्सक एवं कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन तथा चिकित्सकीय उपचार हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का अनुपालन किया गया होता, तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं होती।

2- अत: इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-105/2017/2297/71-1-2017-जी-228/2017, दिनॉक 18-08-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी में उत्पन्न हुई स्थिति की पुनरावृत्ति किसी भी राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में न हो, इस हेतु कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे:-

1- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में आने वाले मरीजों के चिकित्सकीय उपचार हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों/कर्मचारियों/पैरा मेडिकल स्टाफ/पी0आर0ओ0 एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के दौरान संवेदनशीलता बरतते हुए प्राथमिकता पर इस तरह के मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों/कर्मचारियों/पैरा मेडिकल स्टाफ/पी0आर0ओ0 एवं अन्य कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ट प्रदर्शित किया जाय तथा उसका मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण/अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

4- संवेदनशील प्रकरणों को संबंधित प्रधानाचार्य, चिकित्सा अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं देखा जाय तथा मौके पर नेतृत्व प्रदान करते हुए समस्या का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस प्रकार की घटना घटित होते ही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शासन एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल दूरभाष पर अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। सम्पूर्ण घटनाक्रम की तथ्यात्मक आख्या शासन/महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराई जाय। लापरवाही बरतने की स्थिति में जिम्मेदार चिकित्सक/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

3- उक्त बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा जीरो टालरेन्स की नीति अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 34/2018/931(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- स्टाफ आफिसर (श्री पन्त), मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री नर्लिकर, श्री खान, श्री रिजवी), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/3/4
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।